न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 149 / 2016

1 सजना देवी उम्र 65 साल पुत्री चुसाराम पत्नी बनवारीलाल जाति मीणा निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल नरसिंहपुरा तहासील व जिला झुन्झुनूं।
2 फुली उम्र 62 साल पुत्री चुसाराम पत्नी मातादीन जाति मीणा निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल कुलोद कलां तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3 दुलारी देवी उम्र 50 साल पुत्री चुसाराम पत्नी मुचलंद जाति मीणा निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 बरजी देवी उम्र 57 साल पुत्री चुसाराम पत्नी जगदीश जाति मीणा निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 प्रभाती देवी उम्र 54 साल पुत्री चुसाराम पत्नी बिरजुराम जाति मीणा निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
6 नर्बदा देवी उम्र 51 साल पुत्री चुसाराम पत्नी रामजीलाल जाति मीणा निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
7 छोटी देवी उम्र 47 साल पुत्री चुसाराम पत्नी बजरंगलाल जाति मीणा निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल किरोडी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
8 मंजु देवी उम्र 43 साल पुत्री चुसाराम पत्नी बाबुलाल जाति मीणा निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं हाल घुमचक्कर के पास उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1 सुलतान पुत्र रूड़ाराम मृतक
1/1 बजरंगलाल उम्र 65 साल पुत्र स्व. सुलतान जाति मीणा निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/2 रामप्यारी उम्र 63 साल पुत्री स्व. सुलतान जाति मीणा निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/3 रामचन्द्र उम्र 55 साल पुत्र स्व. सुलतान जाति मीणा निवासी बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/4 पतासी उम्र 59 साल पुत्री स्व. सुलतान पत्नी कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी कोटडी लुहारवास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
1/5 मन्नी देवी उम्र 57 साल पुत्री स्व. सुलतान पत्नी भंवरलाल जाति मीणा निवासी कोटड़ी लुहारवास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
1/6 सुभाष उम्र 52 साल पुत्री स्व. सुलतान जाति मीणा
1/7 रामनिवास उम्र 48 साल पुत्र सुलतान जाति मीणा
1/8 प्रताप उम्र 40 साल पुत्र सुलतान जाति मीणा निवासीगण बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/9 मनोज उम्र 30 साल पुत्री स्व. परमेश्वरी पुत्री स्व. सुलतान निवासी पातुसरी तहसील जिला झुन्झुनूं।
2 बनवारीलाल पुत्र नारायणराम
3 माडुराम पुत्र नारायण
4 जगदीश पुत्र नारायण
5 प्रहलाद पुत्र बीरबल
6 लच्छुराम पुत्र बीरबल
7 रामोतार पुत्र गाडाराम
8 जीवणी पुत्र गाडाराम
9 संतोष पुत्री गाडाराम
10 सुमित्रा पुत्री गाडाराम
11 अनिता पुत्री गाडाराम
12 कौशल्या पुत्री गाडाराम
13 रामकुमार पुत्र शिशपाल
14 रामकुमार पुत्र शिशपाल
15 मुकेश पुत्र शिशपाल
16 महेश पुत्र शिशपाल
17 दिनेश पुत्र शिशपाल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

18 जितेन्द्र पुत्र शिशपाल
19 कमला पुत्री शिशपाल
20 भगवती पुत्री शिशपाल
21 विनोद पुत्र भोलाराम
22 हरिसिंह पुत्र भोलाराम
23 अशोक पुत्र भोलाराम
24 संदीप पुत्र भोलाराम
25 मंजु पुत्री भोलाराम
26 विमला पुत्री भोलाराम
27 रामसिंह पुत्र मुलचंद
28 विजय कुमार पुत्र मुलचंद
29 ओमप्रकाश पुत्र मुलचंद
30 संजय पुत्र मुलचंद
31 सुनिता पुत्री मुलचंद
32 बिन्दु पुत्री मुलचंद
33 प्रभाती पत्नी मुलचंद समस्त जाति मीणा निवासीगण बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
34 भूमि अधिकारी राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.03.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बउनवानी
मुकदमा सुलतान बनाम चुसाराम वगै. मु.नं. 257/15
बाबत घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री मुश्ताक अली खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (राजस्थान)

—निर्णय—

दिनांकः— 3/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 257/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 7, 25, 26 वाके ग्राम बिरोल का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के पिता स्व. चुसाराम ग्राम बिरोल में निवास करते थे। वादी द्वारा स्व. चुसाराम को बिरोल निवासी दर्ज किया है तथा स्व. रूडाराम की वंशावली में भी रूडाराम का वारिस होना स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के विवादित भूमि पर कब्जा न मानकर कानूनी भूल की विवादित आराजी खसरा नम्बर 7, 25, 26 कुल रकबा 1. 98 है. भूमि के 1/4 हिस्सा भूमि पर स्व. रूडाराम संयुक्त रूप से काबिज काश्त रहा है अब उक्त 1/4 हिस्सा भूमि पर स्व. रूडाराम संयुक्त रूप से काबिज काश्त रहा है अब उक्त 1/4 हिस्से पर अपीलान्ट शांतिपूर्वक काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुलतान व स्व. चुसाराम सगे भाई थे। स्व. चुसाराम का दिनांक 30.01.2016 को ग्राम बिरोल में स्वर्गवास हो चुका है। ग्राम बिरोल में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्व चुसाराम के दिनांक 30.01.2016 को स्वर्गवास होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट सुलतान ने जानकारी होने के बावजूद जानबुझकर इस तथ्य को विचारण न्यायालय में छिपाकर मृतक चुसाराम के कायम मुकाम को पक्षकार नहीं बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। कानूनन मृतक चुसाराम के कायम मुकाम को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। रेस्पोडेन्ट सुल्तान ने

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

इस तथ्य को छुपाकर कानूनी भूल की है। स्व. चुसाराम के वारिसानों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुलतान ने दिनांक 04.12.2015 को विचारण न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 04.12.2015 को पत्रावली वास्ते तलबी नियत की गई। अपीलान्ट के पिता स्व. चुसाराम 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति थे। वह ग्राम बिरोल में मौजुद थे। इसी प्रकार अन्य रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 34 की तामील नाजायज व गलत तरीके से तामील कुनिन्दा को अपने नाजायज प्रभाव में लेकर इन्कारी से तामील करवाई है। तथाकथित तामील गवाह मातुराम पुत्र गणपत तथा मदन पुत्र झण्डु राम मेघवाल निवासी बिरोल के नाम दर्ज है। उनके हस्ताक्षर भी नही है यहां तक कि रेस्पोडेन्ट सं. 34 राज्य सरकार की तामील भी बिना रिपोर्ट के इन्कारी से करवाई गई। रेस्पोडेन्ट दिनेश, जितेन्द्र व महेश अविवाहित है। तामील कुनिन्दा ने उनकी औरतो द्वारा समन लेने से इन्कार दर्ज किया है। इसी प्रकार रेस्पोडेंट संजय व बिन्दु नाबालिग से बालिग दर्ज किया है। स्व. चुसाराम ग्राम बिरोल में मौजुद था उसको कोई सम्मन की जानकारी नहीं दी गई थी। नाजायज व गैर कानूनी तरीके से स्व. चुसाराम व अन्य प्रतिवादीगण 2 लगायत 34 के विरूद्ध सम्मन लेने से दुरूस्ती की रिपोर्ट करवा कर एकपक्षीय आदेश दिनांक 04.12.2015 को विचारण न्यायालय ने किया। इसी दौराने दिनांक 30.01.2016 को अपीलान्ट के पिता स्व. चुसाराम का स्वर्गवास ग्राम बिरोल में हो गया तथा बिरोल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्व. चुसाराम व अपीलान्ट को उक्त वाद पत्र व निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2016 की कोई जानकारी नहीं रही है। अपीलान्ट सजना देवी व प्रभाती देवी दिनांक 30.05.2016 को अपने पिता स्व. चुसाराम की विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि को संभालने के लिये आई तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 उक्त अपीलान्ट को खेत में नहीं घुसने की धमकी दी। इसी प्रकार यह भी धमकी दी कि विवादित भूमि में अब अपीलान्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उसने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ से दिनांक 04.03.2016 को निर्णय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

व डिक्री प्राप्त कर ली है तथा उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर उक्त भमि का रिकार्ड भी नामांतकरण संख्या 1375 दिनांक 18.04.2016 को उसके व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हो गया है। अपील जानकारी के दिन से यथाशीघ्र अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। किन्ही परिस्थितयों में अगर अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद समाहत नही की जाती है तो अपीलान्ट को दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ दिया जाकर अपील अन्दर मियाद समाहत की जावें। अपीलान्ट स्व. चुसाराम की जायज संतान व वारिस है। अपीलान्ट निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2016 से पीड़ित व प्रभावित होने की वजह से अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का पुरा पुरा अधिकार है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.03.2016 को निरस्त फरमाया जावें। वरवक्त बहस अपीलांट द्वारा फर्द के साथ सुलतान द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 125/2016 की प्रति एवं आदेशिका प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 7, 25, 26 वाके ग्राम बिरोल का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। नकल जमाबंदी ग्राम बिरोल संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि खाता सं. 174 के भूमि खसरा नम्बर 7/0.48, 25/0.67, 26/0.83 किता 3 कुल रकबा 1.98 है. की खातेदारी बनवारी माडूराम जगदीश पिता नारायण हि. 1/4, बीरबल चूसाराम सुलतान पिता रूडाराम हि. 3/4 कोम मीणा सा.दे. खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 व प्रतिवादी नम्बर 5 लगायत 33 के पूर्वज बीरबल के नाम से संयुक्त खातेदारी शामलाती दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तुत शहादत के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 चुसाराम का इस जमीन पर कभी कब्जा काश्त नहीं होना वाद में कथन किया गया है जो प्रस्तुत शहादत में भी कथन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त मौका फर्द पत्र कमांक राजस्व/2015/1935 दिनांक 02.12.2015 का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा वर्णित किया गया है कि ग्राम बिरोल स्थित भूमि खसरा नम्बर 7, 25, 26 के मौके पर पहुंचा, खसरा नम्बर 7, 25, 26 किता 3 कुल रकबा 1.98 है. की खातेदारी बनवारी माडूराम जगदीश पिता नारायण हिस्सा 1/4 बीरबल चूसाराम सुलतान पिता रूडाराम हि. 3/4 कौम मीणा सा.दे. खातेदार दर्ज जमाबंदी है। मौके पर उपस्थितो से पूछताछ करने पर पता चला कि खसरा नम्बर 7 रकबा 0.48 है. पर बनवारी माडूराम जगदीश पिता नारायण का कब्जा काश्त है, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.83 है. पर सुलतान पुत्र रूडाराम का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 25 रकबा 0.67 है. पर बीरबल पुत्र रूडाराम काबिज है। उपस्थितों ने बताया कि चूसाराम पुत्र रूडाराम जाति मीणा ने कभी भी इन खसरा नम्बर पर काश्त नहीं की है। उपरोक्त वर्णित अनुसार ही उपरोक्त खसरा नम्बरों को काश्त करते है। अतः मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर चूसाराम पुत्र रूडाराम का कभी कब्जा काश्त होना नही वर्णित किया गया है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडाराम के चार पुत्रों में तीन पुत्रों का ही कब्जा काश्त होना पाया जाने की स्थिति में रूडाराम के चार पुत्रों के स्थान पर तीन पुत्रों का बराबर हक हिस्सा की खातेदारी घोषित करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अतः अपील मियाद गुणावगुण एवं धारा 96 के बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 7, 25,

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

26 वाके ग्राम बिरोल का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट सुलतान की ओर से वाद प्रस्तुत कर विवादित भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 चुसाराम पुत्र रूडाराम की खातेदारी समाप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी प्रतिवादी संख्या 2 से 4 व प्रतिवादी संख्या 5 से 35 को बराबर बराबर 1/3–1/3 हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा चाही है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय दिनांक 04.03.2016 को पारित किया गया है।

विचारण न्यायालय के प्रतिवादी संख्या 1 चुसाराम पुत्र रूडाराम की मृत्यु दिनांक 30.01.2016 को हो चुकी थी। इसकी पुष्टि अपील मेमों के सलग्न प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की गई है।

अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 चुसाराम की जायंदा पुत्रियां है। अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इससे अपीलान्ट के हित प्रभावित होना एवं अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होना भली भांति स्पष्ट है। अपीलान्ट को विचाराधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी होने का तथ्य पत्रावली पर नहीं है। अतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण की तामील भी सम्यक रूप से नहीं करवायी गई है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुलतान ने दिनांक 04.12.2015 को विचारण न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 04.12.2015 को पत्रावली वास्ते तलबी नियत की गई। अपीलान्ट के पिता स्व. चुसाराम 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति थे। वह ग्राम बिरोल में मौजुद थे। इसी प्रकार अन्य रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 34 की तामील विधि विरूद्ध रूप से इन्कारी से तामील

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

करवाई है। तथाकथित तामील गवाह मातुराम पुत्र गणपत तथा मदन पुत्र झण्डु राम मेघवाल निवासी बिरोल के नाम दर्ज है। उनके हस्ताक्षर भी नही है यहां तक कि रेस्पोडेन्ट सं. 34 राज्य सरकार की तामील भी बिना रिपोर्ट के इन्कारी से करवाई गई। रेस्पोडेन्ट दिनेश, जितेन्द्र व महेश अविवाहित है। तामील कुनिन्दा ने उनकी औरतो द्वारा समन लेने से इन्कार दर्ज किया है। इसी प्रकार रेस्पोडेंट संजय व बिन्दु को नाबालिग से बालिग दर्ज किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा की गई तामीली प्रक्रिया को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर